

(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं  
पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.- 154/2015

जीसीएमएस नम्बर :- 2016/00067

1. भानाराम पुत्र श्री पोकर
2. रोशनलाल पुत्र श्री सुगनाराम
3. राजवीर पुत्र श्री सुगनाराम
4. मिश्री देवी पुत्री श्री सुगनाराम समस्त जाति मेघवाल निवासी मोई सददा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

.....वादीगण

बनाम

1. भोलाराम पुत्र श्री धन्नाराम
2. सत्यवीर पुत्र श्री धन्नाराम
3. प्रभुराम पुत्र श्री धन्नाराम
4. बाबूलाल पुत्र श्री फुलचन्द
5. रमेश पुत्र श्री फुलचन्द
6. विनोद पुत्री श्री फुलचन्द जाति मेघवाल निवासी मोई सददा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
7. होशियार सिंह पुत्र श्री लीलूराम
8. सुमेर सिंह पुत्र श्री गोमाराम
9. प्रताप सिंह पुत्र श्री गोमाराम
10. हनुमान पुत्र श्री बनन्जाराम जाति जाट निवासी मोई सददा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
11. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत- घोषणामक खातेदारी व रिकार्ड दुरुस्ती

-:निर्णय:-

दिनांक:- 31/1/25

(1). वादी का वादपत्र रहा कि:-



41  
उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
जिला झुंझुनूं (राज.)

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:-

पंकज शर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.- 154/2015

जीसीएमएस नम्बर :- 2016/00067

भानाराम बनाम भोलाराम आदि

दावा बाबत- घोषणात्मक खातेदारी व रिकार्ड दुरुस्ती

-:निर्णय:-

वादी की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद एडवोकेट की व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 की ओर से श्री कुल्दीप सिंह एडवोकेट की तथा प्रति० संख्या 10 की ओर से श्री महावीर प्रसाद एडवोकेट की उपस्थिति में शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद को पंकज शर्मा उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

“ न्यायालय वाद वादीगण का खाता विभाजित कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम मोई सददा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज० स्थित भूमि गत ख० न० 122/2 रकबा 2 बिश्वा से बने हाल खाता संख्या 99 के ख० न० 384/255 में 0.03 है०, भाग प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के हकपूर्वाधिकारियों ने अपना हिस्सा वादी संख्या 1 को बेचान कर दिया था। इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का नाम हजफ कर वादी संख्या 1 का हिस्सा 3/4 तथा वादी संख्या 2 लगायत 4 का 1/4 हिस्से का वादीगण को खातेदार घोषित कर रिकार्ड दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। ”

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 21.1.25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



401  
(पंकज शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी बुहाना  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
जिला झुंझुनू (राज.)  
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना